IJAER/July- August- 2021/Volume-10/Issue-1 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अनुपस्थिति के संदर्भ में अध्ययन

Mr. Kehar Singh

Ph.D. Scholar

Department of political science

Malwanchal University Indore, (M.P.).

Dr. Manoj Kumar

Supervisor

Department of political science

Malwanchal University Indore, (M.P.).

सार

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृ ष्टता के लिए प्रयास करे ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास के उच्च स्तर तक बढ़े और उपलब्धियां। यह सबका कर्तव्य है यह सुनिश्चित करने के लिए माता–पिता या अभिभावक उनका बच्चा या बालक था।

छह और चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के लिए (जोड़ा गया द्वारा 86 वें संशोधन में 2002) मैं के भुगतान के बारे में सोचो कर और परिवार नियोजन को इस रूप में शामिल किया जाना चाहिए एक का मौलिक कर्तव्य। होना लोग इस अज्ञानता के लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार है। होना सरकार को हर समय दोष नहीं दे सकते, हालांकि यह लोगों के साथ–साथ सामाजिक न्याय और मौलिक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार का कर्तव्य है कर्तव्य।

मौलिक कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, संसद को मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया है और उनमें से किसी के भी उल्लंघन में किसी भी अधिनियम के लिए दंड और दंड लगा सकता है। 1992 में, सुप्रीम कोर्ट का आयोजन कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में, यदि न्यायालय को लगता है कि वह किसी भी मौलिक कर्तव्यों को प्रभावित करना चाहता है, तो वह इस तरह के कानून को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में उचित मान सकता है और इस तरह से कानून को बचा सकता है।

प्रमुख शब्दः कर्तव्य, कानून और न्याय ।

प्रस्तावना

ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। किसी भी मामले में, इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटेन अपने मूल निवासियों के लिए उन मौलिक अधिकारों को नहीं समझता है जो उनके पूर्ण सुधार के लिए आवश्यक हैं। उन अधिकारों को ब्रिटेन में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। संयुक्त राज्य का संविधान संविधान के पहले दस संशोधनों में निहित अधिकारों के विधेयक में मूल निवासियों के आवश्यक विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करता है। अमेरिकी संविधान के संस्थापक इस आधार पर संविधान की सामग्री में अधिकारों को सुनिश्चित करने के खिलाफ थे कि ऐसे मामले में संविधान में सुनिश्चित किए गए अधिकारों को सुरक्षित किए जाने वाले अधिकारों के व्यापक विस्तार के रूप में माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उल्लंघन को प्रेरित किया जाएगा। अधिकार दर्ज नहीं है। संविधान में अधिकारों में शामिल होने के लिए उपरोक्त आधारों पर उनकी अनिच्छा के बावजूद, स्थापित करने वाले पिता संयुक्त राज्य के संविधान की शुरुआत के बाद शुरू किए गए प्रारंभिक दस संशोधनों में आवश्यक अधिकारों को फ्यूज करने के लिए मजबूर थे। .

यूके और यूएस ए के बीच केंद्रीय अंतर यह है कि जब अंग्रेज अधिकारी के उत्पीड़न से बहुत असहज थे और अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए किनारे पर थे, अमेरिकी संविधान के रचनाकार न केवल अधिकारी की व्यक्तिपरक ताकतों से डरते थे, फिर भी इसके अलावा शासी निकाय जो निर्णय पक्ष के क्षणिक शेर के हिस्से से प्रभावित हो सकता है। इसके बाद, अमेरिकी संविधान के पिताओं ने अधिकारों का एक विधेयक दिया जो कि कार्यपालिका के रूप में विधानमंडल पर आधिकारिक है, इसलिए, यह दोनों के हमले से संविधान में सम्मानित मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के दायित्व में बदल गया है। कांग्रेस (शासी निकाय) सिर्फ अधिकारी के रूप में।

साहित्य की समीक्षा

(कौशल प्रताप सिंह, 2011) चर्चा की कि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्र के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण की क्षमता है। यह आदेश देता है कि – ''यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा '' – लेकिन यह एक विडंबना है कि भारत के 99 प्रतिशत से अधिक नागरिक संविधान में इस अनुच्छेद के

अस्तित्व के बारे में जानते तक नहीं हैं, बल्कि इसके प्रावधान। इस प्रकार लागू किए गए मानवता के कर्तव्य को कानून द्वारा जानवरों के प्रति कर्तव्य के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उनके संबंध में केवल एक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। वह जो किसी बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करता है।

(कॉलेज, फोर्ट लुईस, 2011) ने अध्ययन किया कि मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों से नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये अन्य बातों के अलावा एक नागरिक को संविधान का पालन करने, चेरिस का पालन करने और महान आदर्शों का पालन करने का आदेश देते हैं, जिसने भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया और धार्मिक भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सामान्य भाईचारे की सद्भाव और भावना को बढ़ावा दिया।

(कौर एंड स्टडीज, 2011) ने बताया कि नैतिक और नैतिक रूप से ऊंचा होना, सच्चा और कर्तव्य परायण होना, और इसे सही और निष्ठा से करना किसी की मूल्य प्रणाली का हिस्सा है, यह आपके गुणी स्वभाव को प्रदर्शित करता है। कोई भी इस तरह के नैतिकता और मूल्यों को लोगों में लागू नहीं कर सकता है लेकिन सत्य, न्यायसंगत और सही आदि दुनिया की हर शिक्षा प्रणाली की नैतिक शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए ताकि दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके ताकि लोग सम्मान करें।

(आईईए, 2011) ने निष्कर्ष निकाला कि जब हम अनुच्छेद 51–ए में परिकल्पित मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो वास्तव में हम प्राचीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं जो कर्तव्य आधारित थी। शायद यही कारण था कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में इन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया था। हमेशा सोचा और उम्मीद की जाती थी कि इस महान देश के नागरिकों को जहां करुणा, अनुशासन, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अखंडता, प्रेम, शांति, देशभक्ति, ईमानदारी और सहिष्णुता जीवन का तरीका है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है।

(के.सीता, 2012) ने वर्णन किया कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। इसलिए मौलिक कर्तव्य हैं यह प्रत्येक राष्ट्र को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करने का प्रयास है कि जबकि हमारे देश का संविधान, विशेष रूप से उन्हें निश्चित मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह समाज को लोकतांत्रिक व्यवहार करने के लिए सकारात्मक बुनियादी मानदंडों और नियमों का पालन करने की भी आवश्यकता है। कांग्रेस द्वारा यह दावा किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माता जो करने में असफल रहे थे, वह अब किया जा रहा है और मौलिक कर्तव्यों को प्रदान करके चूक को सुधारा जा रहा है। नागरिक कर्तव्यों पर एक अनुभाग प्रदान करके चूक को ठीक किया जा रहा है।

(लुइस एंड मोनकायो, 2013) ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को सबसे अच्छा 'निर्देशिका' माना जाना चाहिए। जहां तक इन कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता का संबंध है, यह माना गया है कि व्यक्तिगत नागरिक होने के कारण इन कर्तव्यों को परमादेश के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कर्तव्य हमें राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ–साथ राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी मानदंडों की निरंतर याद दिलाते हैं। वे हमें अपने आप में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

(सथ्यन , 2013) ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के संविधान में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हुए यह भी परिकल्पना की गई है कि नागरिक कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और उनका निर्वहन करेंगे। ये कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51ए में वर्णित हैं। इस प्रकार प्रगणित मौलिक कर्तव्यों में पहला कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है।

(दिन, विधानसभा, 2015) ने अध्ययन किया कि भारत के लोग संविधान के अंतिम संरक्षक हैं। उनमें ही संप्रभुता निहित है और उन्हीं के नाम पर संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान नागरिक को सशक्त बनाता है, लेकिन नागरिक भी संविधान का पालन करके, उसकी रक्षा करके, और शब्दों और कर्मों से इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए दृढ़ता से सशक्त बनाता है। संविधान किसी का भी नहीं है – और यह सभी का संरक्षण है। जब वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, तब नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे, हालांकि मौलिक अधिकारों

के लिए एक भाग 3 था। सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।

(भार्गव, 2015) ने समझाया कि मौलिक अधिकार हमारे लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जबकि सामान्य कानूनी अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं, मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं। कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया द्वारा विधायिका द्वारा सामान्य अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है। इसके अलावा, सरकार का कोई भी अंग इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है जो उनका उल्लंघन करता हो।

मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ

- ✓ मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किये गए हैं। उदाहरण के लिये 'स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना' एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि 'संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना' एक नागरिक कर्तव्य है।
- ✓ गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ–साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं।
- ✓ संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर–न्यायोचित या गैर–प्रवर्तनीय होते हैं अर्थात् उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है।
- ✓ संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से भी संबंधित है।

मौलिक कर्तव्यों की गैर–प्रवर्तनीयता

- ✓ गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 37 राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को गैर–प्रवर्तनीय और गैर–न्यायसंगत बनाता है परंतु संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के लिये ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
- ✓ हालाँकि संविधान के अंतर्गत इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिये भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गए हैं इसलिये इनके उल्लंघन पर तब तक किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता जब तक संविधान में इसके लिये विशिष्ट प्रावधान न किया जाए।

भारतीय संविधान में कर्तव्यों की अनुपस्थिति :–

यह काफी दुखद था कि आजादी के बाद के वर्षों में, भारत की सामान्य आबादी इतनी अधिक जागरूक हो गई कि वे आम तौर पर अपने प्रमुख दायित्वों और कर्तव्यों की अनदेखी कर देंगे। मूल निवासी के दायित्वों को चित्रित करने का एक प्रस्ताव डॉ। राजेंद्र प्रसाद द्वारा कोई अनिश्चितता नहीं थी, ''जो देश में अनुशासनहीनता और जंगल के कारण गहराई से उत्तेजित महसूस करते थे, जब सब कुछ कहा जाता था, और किसी अधिकारी के विशिष्ट के अविश्वसनीय आचरण''। इसके अलावा, यह मुद्दा उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ दास की अध्यक्षता में जन समाज के सेवकों के ध्यान में भी आया। सोसाइटी ने एक फ्लायर निकाला जिसका शीर्षक थाः 'मैं अपने जीवन और भारत के संविधान में कर्तव्य का विशेषज्ञ', प्रस्ताव करने के लिए ''हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को समायोजित या संघनित किए बिना, हमारे संविधान में छेद को बंद करने के लिए जानबूझकर वृद्धि के एक जोड़े को प्राप्त करना कुछ दायित्व जिनसे निवासी की सही धारा और जिसके बिना ऐसे अधिकार टिक नहीं सकते''।

किसी भी मामले में, वास्तविकता यह बनी हुई है कि मूल निवासियों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के मसौदे में समेकित नहीं किया गया था, और जब भारत का संविधान सत्ता में आया, तो उसने भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों पर एक अध्याय पर सवाल नहीं उठाया था, हालांकि कोई अध्याय नहीं था मौलिक कर्तव्यों पर। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र में सामान्य आबादी अधिकारों पर इतनी बड़ी मात्रा में तय की गई थी कि वे आम जनता और देश के प्रति अपने दायित्वों और

प्रतिबद्धताओं के महत्व को नजरअंदाज कर देते थे, जिसने उन्हें गारंटी देने का अधिकार दिया था और अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

भारतीय संस्कृति पर दायित्वों की अनुपस्थिति का प्रभाव :

संविधान में अधिकारों की महँगाई और दायित्वों की गैर–अनुपस्थिति ने लंबे समय से भारतीय संस्कृति में अनुशासनहीनता का दौर शुरू किया है। हड़तालों और तालाबंदी ने स्थानिकमारी को समाप्त कर दिया। यहां साठ के दशक के उत्तरार्ध से भारत में अनुशासनहीनता की विकासशील घटना की समीक्षा करना प्रासंगिक है, जब मतदाताओं पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने के साथ, विभिन्न राज्यों में गठबंधन सरकारों का समय बढ़ गया। सत्ता और लाभ लेने के लिए पैदल–मुक्त विधायकों के सदन के पटल को पार करने से, संगठन में राजनीतिक बाधा इस हद तक फैल गई कि संगठन पूरी तरह से अक्षम हो गया। इस माहौल का फायदा उठाकर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने प्रशासन के साथ–साथ पुलिस अधिकारियों को भी तैयार करना शुरू कर दिया। जैसा कि कानून प्राधिकरण पर एक उल्लेखनीय निर्माता द्वारा दर्ज किया गया है, ''पुलिस का घेराव वर्तमान में एक दिन का काम है। सभी घटनाओं का जवाब हमें नहीं दिया जाता है। कई अधिकारी अधिक असुविधा से दूर रहने के लिए ऐसी रिपोर्टों को दबाते हैं और इससे मामले और उलझ जाते हैं। वरिष्ठ पुलिस वाले व्यक्त करते हैं कि बड़ी संख्या में उनके सहयोगियों ने संघों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है क्योंकि उन्हें उकसावे से रणनीतिक दूरी बनाए रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है''।

शांति की स्थिति में खटास इस वजह से भी आई कि विधायिकाओं के एक हिस्से ने घेराव के मामलों में पुलिस को हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए दिशानिर्देश जारी किए थे। यहां यह उल्लेख करना उचित हो सकता है कि ''जय इंजीनियरिंग मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने सरकार के आधिकारिक निर्देशों को रद्द कर दिया, जिसके तहत घेरावों के मामलों में भी पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना अवैध था।

उपसंहार

भारतीय सेवा (प्रशासनिक, वन, पुलिस, आदि) सब कुछ एक साथ लेकर प्रशासन को चरमराने वाली तैयारी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तैयारी को महत्व देने और निराशा को दंडित करने के लिए प्रशासन नियमों में संशोधन किया गया था। मोहन कुमार सिंघानिया और अन्य में नियमों में वैधता संशोधन के परीक्षण पर। वर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।, (1992) .1 एससीसी 594, ताकि सुधार की वैधता को बनाए रखने के लिए, रत्नवेल पांडियन, जे। ने अनुच्छेद 51 ए से गुणवत्ता प्राप्त की। कथन (जे) की ओर इशारा करते हुए, जो भारत के प्रत्येक मूल निवासी को व्यक्तिगत और समग्र आंदोलन के सभी क्षेत्रों में पूर्णता की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है ताकि देश हमेशा बड़ी मात्रा में उपक्रम और सिद्धि की ओर बढ़े, यह माना गया कि चयनकर्ताओं के तैयारी कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व देने के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास, ताकि यह उच्च सामान्य प्रशासन देश का सर्वोच्च प्रशासन हो और तैयारी की समय सीमा के बीच लाभहीन न हो। अनुच्छेद 51ए (जे) की व्यवस्था के अनुरूप। इसलिए, सुधार की वैधता को बनाए रखा गया था।

कुछ मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की वैधता को बनाए रखा है। जीव विज्ञान और स्थिति के साथ की पहचान और मूल निवासी और राज्य को प्रतिबंधित करने वाले शीर्षकों को लेख में ऐसा करने की क्षमता का स्रोत ढूंढ रहा है।

51ए. ग्रामीण मुकदमेबाजी और अधिकार केंद्र और अन्य में। वर्सस ए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य, (1986) सप्प। एससीसी 517, रंगनाथ मिश्रा, जे. आयोजित।

''पृथ्वी का संरक्षण और पर्यावरणीय समानता को अप्रभावित रखना एक ऐसा कार्य है जिसे सरकारों के साथ–साथ प्रत्येक मूल निवासी को भी करना चाहिए। यह एक सामाजिक प्रतिबद्धता है।

संदर्भः–

1. एन. (1948)। मानवाधिकारः प्रकृति और घटक ।
2. ऑन, एबी, और ड्यूटीज, एफ सत्यन (2013)। मेरा स्वर्ग मौलिक कर्तव्यों पर एक पुस्तिका ।
3. पेपर, सी. सीआर ईरानी (2001)। संविधान भवन अनुबंध का कार्य, नई दिल्ली – 110 011 ।

4. रेजिमेंटल, एन।, यूनिट, पी।, निदेशालय, जी।, थिलक, आर।, एनसीसी, सीटीसी, परिचय, एएन, संविधान, आई।, दिवस, एस।, कानून, एन।, इंडी, डब्ल्यूक्यू, और संविधान, मैं (1947)। निबंध । 1–2.
5. अधिकार, मौलिक। (2014)। अध्याय 4 । 183–321.
6. अधिकार, मौलिक। (2015)। मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और मौलिक सी। मौलिक अधिकार । 1–24.
7. अधिकार, मौलिक, सिद्धांत, डी।, और कर्तव्य, एफ। (2017)। सी । मौलिक अधिकार ।
8. राइट्स, फंडामेटल। (2017)। मौलिक अधिकार और .
9. सर्विस, आई. कोष (2009)। मौलिक कर्तव्य । 321 (1800), 138–139।
10. सेठी, डी. (2009)। भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यः उनकी भूमिका और महत्व। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ।
11. सुधीश (2015–बी)। मौलिक कर्तव्य। 1–10.
12. सुवर्णखंडी, एसएस (2010)। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रावधान। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस , 6 (3), 1–9।
13. सहिष्णुता, वीओएफ, और सद्भाव, सी। (2018)। यूनिट 4 भारतीय संविधान 9: भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य ।